

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the
Representation of the People Act, 1951**

*Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 19
SADULPUR Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that—

Shri Manoj Kumar s/o Swai Singh Village- Nyangali Po. Lakhlan Badi Tehsil
Rajgarh Dist- Churu Rajasthan sponsored by Bahujan Samaj Party (name of the
recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that
House from the above constituency.

Place: CHURU

Date: 03-12-2023


(Deepanshu Sangwan)
Returning Officer

19- Sadulpur Assembly Constituency
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Rajgarh (Churu)

(दीपान्तु सांगवान)
रिटर्निंग ऑफिसर
19-सादुलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उप सप्ट अधिकारी एवं
उप सप्ट मजिस्ट्रेट राजगढ़ (चुरु)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

19- सादुलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सवाई सिंह ग्राम न्यांगली पो० लाखलाण बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राजस्थान जो बहुजन समाज पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: चुरू

दिनांक: 03.12.2023


(दीपांशु सांगवान)

रिटर्निंग ऑफिसर

19 सादुलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उप खण्ड अधिकारी एवं

उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ़ (चुरू)

(दीपांशु सांगवान)

रिटर्निंग ऑफिसर

19-सादुलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उप खण्ड अधिकारी एवं

उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ़ (चुरू)